पत्र संख्या–विधि–4(1)परिपत्र भाग–2–(09–10)–1191 / 0910058 / वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: अक्टूबर 23 ,2009

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–260 / ग्यारह–9(295) / 07–उ0प्र0अधि0–5–2008–वैट नियमावली–08–आदेश–(40)–2009 दिनांक 30–1–09 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 में संशोधन करते हुए कर निर्धारण वर्ष 2007–08 को छोड़कर अन्य कर निर्धारण वर्षों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आने वाली तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि परिस्थितिजन्य कारणों से नियत तिथि तक करदाताओं द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारक अधिकारी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि 90 दिन तक बढ़ा सकते हैं। कमिश्नर वाणिज्य कर को नियमावली के नियम 4 के उपनियम (5) के अन्तर्गत कर निर्धारक अधिकारी के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। अतः नियमावली के नियम 4 के उपनियम (5) में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए करदाताओं से बिना प्रार्थनापत्र प्राप्त किये ही कर निर्धारण वर्ष 2008–09 का वार्षिक रिटर्न (फार्म 26, फार्म 26ए एवं फार्म 26बी) दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31–10–09 की सीमा को 90 दिन तक बढ़ाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी को समय बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन सचिवालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2– समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय।
3– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।